न्यायालय :– द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा (छ.ग.)	
(पीठासीन अधिकारी :– दीपक कुमार देशलहरे)	
निर्णय दिनांक :– 09.06.2022 सत्र प्रकरण कमांक :–49 / 2020 सी.आई.एस.नं. :–CGDA01-000276-2020 थाना:–कटेकल्याण, अपराध कमांक :–02 / 2020 संस्थित दिनांक :–24.11.2020	
अभियोजन :–	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र :– कटेकल्याण जिला :– दंतेवाड़ा (छ.ग.
शासन की ओर से अभिभाषक :–	श्री मनीष कुर्मी लोक अभियोजक
अभियुक्त :–	**01.** हिड़मा पोड़ियामी पिता हड़मा पोड़ियामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी चिकपाल पटेलपारा, थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)
बचाव अधिवक्ता :–	श्री गिरीश ठाकुर

भावना नायक ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–60 / 2020 (छ.ग. राज्य विरूद्ध हिड़मा पोड़ियामी) में पारित उपार्पण आदेश दिनांक–20.11.2020 से उद्भुत सत्र प्रकरण।

सत्र प्रकरण क्रमांक–49/2020
C.I.S.No.-CGDA01-000276-2020

//निर्णय//

(आज दिनांक 09.06.2022 को घोषित)

01– अभियुक्त हिड़मा पोड़ियामी के विरूद्ध धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत् आरोप है कि, उसने दिनांक 24.01.2020 को समय लगभग 16:30 बजे स्थान थाना कटेकल्याण से पूर्व लगभग 13 किलोमीटर दूर, ग्राम चिकपाल जंगलपारा में अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ एक नग कमांड बम को विस्फोट कारित करने के प्रयत्न करने के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से और विद्वेषतः रखा हुआ था एवं विस्फोटक पदार्थ में प्रयुक्त किये जाने वाली सामाग्री एक नग 30–35 मीटर वायर, एक नग बैटरी अपने नियंत्राधीन को ऐसी परिस्थितियों में रखा, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि, उसे विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं रखा था।

02– अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.01.2020 को डी.आर.जी. 01 व 03 की संयुक्त पार्टी बनाकर प्रार्थी हजारीलाल मौर्य सहायक उपनिरीक्षक एरिया डोमिनेशन के लिए लगभग 15:00–15:30 बजे चिकपाल जंगलपारा की ओर निकले थे कि, मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति

चिकपाल जंगलपारा रोड में पुलिस पार्टी को मारने की नियत से कमांड बम लगाकर कुछ दूरी पर बैठा हुआ है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम हिड़मा पोड़ियामी बताया, जिससे बम के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि, उसने रोड़ में पुलिस पार्टी को मारने की नियत से कमांड बम लगा रखा है, जिसका स्वीच उसने स्वयं अपने पास रखा हुआ है जिसे मौके पर ही बरामद किया गया तथा उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने तथा तलाशी लेने पर उसके पास से लगभग 30–35 मीटर वायर, 01 नग बैटरी, एक नक्सली पिट्ठू, एक जोड़ी सी.एन.एम. कपड़ा, नक्सली साहित्य, नक्सली बैनर, नक्सली पॉमप्लेट, एक नग टेप तथा एक नग पॉलिथीन बरामद कर बरामदगी पंचनामा प्र.पी.–01 तैयार किया गया।

उक्त घटना के संबंध में, प्रार्थी हजारीलाल मौर्य के लिखित रिपोर्ट प्र.पी.–02 के आधार पर थाना कटेकल्याण में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–03 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.–05 तैयार कर, गवाहों का बयान लेखबद्ध किया गया। हल्का पटवारी से घटना स्थल का नजरी नक्शा प्राप्त किया गया। प्रार्थी हजारीलाल मौर्य से एक 30–35 मीटर वायर, एक नग बैटरी, एक नग नक्सली पिट्ठू, एक नग

सी.एन.एम. कपड़ा, एक नग नक्सली साहित्य, एक लाल रंग का नक्सली बैनर, एक नक्सली पामप्लेट, एक नग टेप तथा पॉलिथीन, एक नग कमांड बम को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.—04 तैयार किया गया। जप्तशुदा विस्फोटक पदार्थ को बी.डी.एस. प्रभारी दंतेवाड़ा से निष्क्रिय कराया जाकर, निष्क्रिय किये गये स्थान का आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. —08 तैयार किया गया। तत्पश्चात् जप्तशुदा विस्फोटक पदार्थों को रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेजा गया। जिला दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् शेष अन्वेषण उपरांत इस घटना को कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता पाई गई, उसके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) के न्यायालय में पेश किया गया, जो उसके द्वारा पारित उपार्पण आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुसार, माननीय सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के आदेशानुसार प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

03— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत् आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने कथित जुर्म करना अस्वीकार किया

है एवं विचारण का दावा किया है।

04– धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् इस अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना कहा है। बचाव में अभियुक्त की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

05– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से गवाह हजारीलाल मौर्य (अ.सा.–01), प्रेमलाल पोड़ियामी (अ.सा.–02), खिरेन्द्र सिंह ठाकुर (अ.सा.–03), हरिराम मंडावी (अ.सा.–04), हीरालाल कवासी (अ.सा.–05), लखो कुड़ामी (अ.सा.–06), कल्याण सोनवानी (अ.सा.–07) का परीक्षण कराया गया है।

06– **प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:–**

(1) क्या, अभियुक्त, दिनांक 24.01.2020 को समय लगभग 16:30 बजे स्थान थाना कटेकल्याण से पूर्व लगभग 13 किलोमीटर दूर, ग्राम चिकपाल जंगलपारा में अपने आधिपत्य में या अपने नियंत्रण के अधीन विस्फोटक पदार्थ एक नग कमांड बम को विस्फोट कारित करने के प्रयत्न करने के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से और विद्वेषतः रखा हुआ था ?

(02.) क्या, उक्त दिनांक, समय व स्थान पर, अभियुक्त ने

विस्फोटक पदार्थ में प्रयुक्त किये जाने वाली सामाग्री एक नग 30—35 मीटर वायर, एक नग बैटरी अपने नियंत्राधीन को ऐसी परिस्थितियों में रखा, जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि, आप उसे विधि पूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं रखा था ?

विवेचना एवं निष्कर्षः—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर निष्कर्षः—

07— उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक ही घटना से संबंधित है, अतः सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनर्रावृत्ति से बचने के लिए इन विचारणीय प्रश्नों के सबंध में अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

08— अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि, प्रकरण के हमराह स्टॉफ पुलिस कर्मचारियों एवं हितबद्ध पुलिस साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।

जबकि, अभियुक्त की ओर से बचाव पक्ष का यह तर्क एवं प्रतिरक्षा रहा है कि, अभियोजन/पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही थाना में बैठकर किया गया है। अभियोजन के हितबद्ध पुलिस

साक्षी एवं स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा, विवेचना अधिकारी के कथन का समर्थन नहीं किया गया है। विस्फोटक प्रदार्थ की जप्ती, अभियुक्त से होना प्रमाणित नहीं हुआ है। इस तरह अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे। बचाव पक्ष के उक्त तर्क एवं प्रतिरक्षा के संभाव्यता के संबंध में, आगे अभिलेख में आए साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

09– प्रार्थी हजारी लाल मौर्य (अ.सा.–01) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वह अभियुक्त को पहचानता है। वर्ष 2020 में घटना के दिन उसे मुखबिर से सूचना मिला था कि, चिकपाल जंगलपारा की ओर नक्सलियों की मौजूदगी है, तब उक्त सूचना के आधार पर वह अपने हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी करने के लिए रवाना हुआ था।

10– प्रार्थी हजारी लाल मौर्य (अ.सा.–01) का आगे यह भी कथन रहा है कि, मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचने पर देखे कि, एक व्यक्ति उस स्थान पर बैठा हुआ था, जिसे वे लोग जाकर पकड़े थे, जिसके पास से एक टिफिन बम, वायर, हरे रंग का नक्सली वर्दी आदि सामान बरामद हुआ था। बरामद सामान के संबंध में मौके पर ही बरामदगी पंचनामा प्र.पी.–01 तैयार किये थे। पूछताछ करने पर बताया कि, पुलिस की गतिविधियों को

देखकर बम लगाने के लिए बैठा था। उसके बाद वे लोग उस व्यक्ति एवं उससे बरामद सामान को लेकर वापस थाना आये और वह इस घटना की लिखित सूचना दिया था, लिखित सूचना प्र.पी.—02 है, उसके लिखित सूचना के आधार पर थाना कटेकल्याण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.—03 दर्ज किया गया था। उसने बरामद सामान की जप्ती थाना में कराया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.—04 है, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। ऐसा ही कथन साक्षी हरिराम मंडावी (अ.सा.—04) एवं हीरालाल कवासी (अ.सा.—05) का भी रहा है।

11— प्रेमलाल पोड़ियामी (अ.सा.—02) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वर्ष 2020 में घटना के दिन उसे मुखबिर से सूचना मिला था कि, चिकपाल जंगलपारा की ओर नक्सलियों की मौजूदगी है, तब उक्त सूचना के आधार पर वह अपने हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी करने के लिए रवाना हुआ था। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे तब देखे कि, वहां पर बहुत सारे नक्सली थे, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगे तब वे लोग घेराबंदी कर उन नक्सलियों में से एक व्यक्ति को पकड़े थे। पकड़े गये व्यक्ति के पास एक झोला मिला था, जिसके अंदर एक टिफिन बम, वायर और कपड़ा आदि रखा हुआ था बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हिड़मा पोड़ियामी नक्सली संघम

सदस्य होना बताया था, और यह भी बताया था कि, आज वह नक्सली कमांडर के मीटिंग में उपस्थित होने आया था। थाने में मौके से बरामद सामान के संबंध में जप्ती की कार्यवाही किया गया था, जप्ती पत्रक प्र.पी.–04 है, पुलिस वाले घटना के संबंध में उसका बयान लिए थे।

12– खिरेन्द्र सिंह ठाकुर (अ.सा.–03) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, बी.डी.एस. प्रभारी रक्षित केन्द्र दंतेवाड़ा में पदस्थापना के दौरान थाना कटेकल्याण के अपराध कमांक 02 / 2020 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में जप्तशुदा एक नग कमांड बम, एक नग बैटरी एवं 30–35 मीटर बिजली वायर को नष्टीकरण करने के लिए भेजा गया था। तब उसने दिनांक 14.04.2020 को समय लगभग 11:20 बजे रक्षित केन्द्र दंतेवाड़ा हेलीपैड के पीछे जंगली ईलाका में गवाह आरक्षक कमांक–364 दुबराज पैकरा एवं आरक्षक कमांक–102 रामचन्द्र कंवर की उपस्थिति में उपरोक्त विस्फोटक पदार्थ को सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए उनका नष्टीकरण किया था। नष्टीकरण पश्चात् उस स्थान का बारूद आलूदा मिट्टी 05 किलोग्राम एवं उस स्थान से कुछ दूरी पर सादी मिट्टी 02 किलोग्राम अलग–अलग पैकेट में जप्त कर सीलबंद किया था। विस्फोटक पदार्थों का नष्टीकरण किये जाने के बाद उक्त संबंध में नष्टीकरण पंचनामा प्र.पी.–07 तैयार किया था। नष्टीकरण किये

गये स्थान का बारूद आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी को उसके द्वारा थाना कटेकल्याण में पेश किये जाने पर उसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.—08 तैयार किया गया था।

13— लखो कुड़ामी (अ.सा.—06) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। वह चिकपाल जंगल की तरफ कभी गश्त में नहीं गया था। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने के बावजूद उसके परीक्षण में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है।

14— प्रार्थी हजारी लाल मौर्य (अ.सा.—01) के कथनानुसार, वह घटना के दिन मुखबिर से सूचना मिलने पर घटना स्थल जाकर देखा कि, एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसे वे लोग पकड़े थे, जिसके पास से टिफिन बम, वायर, हरे रंग का वर्दी आदि सामान बरामद कर मौके पर बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 तैयार किये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, लिखित रिपोर्ट में टिफिन बम एवं वायर का उल्लेख नहीं किया है। आरोपी हिड़मा पोड़ियामी को टिफिन बम लगाते हुए या वायर छिपाते हुए नहीं पकड़ा था। प्रकरण में बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01, जप्ती पत्रक प्र.पी.—04 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.—06 की संपूर्ण कार्यवाही थाने में की गई

थी। इसी प्रकार से बरामदगी एवं जप्ती के साक्षी प्रेमलाल पोड़ियामी ने अपने मुख्य परीक्षण में बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 एवं बरामद सामान की जप्ती प्र.पी.—04 के ब से ब भाग का हस्ताक्षर को अपना नहीं होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 एवं बरामद सामान की जप्ती प्र.पी.—04 के ब से ब भाग का हस्ताक्षर वह नहीं किया है तथा बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 की कार्यवाही मौके पर नहीं किया गया था। अभियुक्त की तलाशी लेने के पूर्व वह और हजारी साहब अपना जामा तलाशी नहीं करवाये थे। आरोपी हिड़मा पोड़ियामी को बम लगाते व वायर छिपाते नहीं पकड़े थे। ऐसी स्थिति में उसके उक्त कथन विश्वसनीय नहीं रह जाता है। साक्षी हरिराम मंडावी (अ.सा.—04) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि, बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 एवं बरामद सामान की जप्ती प्र.पी.—04 पर हस्ताक्षर थाने में किया था। बरामदगी पंचनामा की कार्यवाही मौके पर नहीं किया गया था, थाने में किया गया था। अभियुक्त हिड़मा पोड़ियामी मौके पर नहीं था, अभियुक्त हिड़मा पोड़ियामी को टिफिन बम लगाते हुए या वायर छिपाते हुए नहीं पकड़े थे। इस प्रकार इन साक्षियों ने विरोधाभाषी कथन किये हैं।

15— यह उल्लेखनीय है कि, बरामदगी पंचनामा प्र.पी.—01 को मौके पर साक्षियों के समक्ष तैयार किया जाना प्रार्थी हजारी

लाल मौर्य (अ.सा.–01) के द्वारा बताया गया है। इसी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उक्त बरामदगी पंचनामा प्र.पी.–01 की कार्यवाही थाने में होना बताया है। बरामदगी पंचनामा के साक्षी प्रेमलाल पोड़ियामी ने बरामदगी पंचनामा प्र.पी.–01 एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.–04 पर अपना हस्ताक्षर होने से इन्कार कर दिया है तथा साक्षी हरिराम मंडावी (अ.सा.–04) ने भी बरामदगी पंचनामा की कार्यवाही थाने पर किया जाना बताया है। इस प्रकार से प्रार्थी के कथनों का समर्थन इन साक्षियों ने मौके से वस्तु की बरामदगी का समर्थन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में घटना के समय आरोपी के कब्जे से विस्फोटक सामाग्री बरामद किये जाने की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है।

16— कल्याण सोनवानी (अ.सा.–07) का घटना के संबंध में यह कथन रहा है कि, दिनांक 14.01.2020 को सहायक उपनिरीक्षक हजारीलाल मौर्य के लिखित आवेदन पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 20 / 2020 धारा 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया था, जो प्र.पी.–03 है, उसके द्वारा दिनांक 27.01.2020 को साक्षियों की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर उसमें प्र.पी.–05 में उल्लेखित क्रमांक ए से बी तक के स्थल दिखाये गये हैं। उसके द्वारा तहसील कटेकल्याण को घटना स्थल पटवारी नजरी नक्शा प्रदाय करने बाबत् एक

ज्ञापन प्रेषित किया गया था, ज्ञापन प्र.पी.–11 है। उसके द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में दिनांक 24.01.2020 को 19:30 बजे हजारीलाल मौर्य से प्र.पी.–04 में उल्लेखित क्रमांक 01 से 09 तक की वस्तुएं जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया था।

17– कल्याण सोनवानी (अ.सा.–07) का आगे यह भी कथन रहा है कि, दिनांक 14.04.2020 को उसके द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में प्रधान आरक्षक खिरेन्द्र सिंह ठाकुर के पेश करने पर प्र.पी.–08 में उल्लेखित वस्तुएं जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, उसके द्वारा अभियुक्त हिड़मा पोड़ियामी को साक्षियों की उपस्थिति में प्र.पी.–06 के अनुसार गिरफ्तार कर किया था। मामले में जप्तशुदा वस्तुओं का नष्टीकरण कराये जाने बाबत् माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेवाड़ा को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जो प्र.पी.–12 है। अभियोजन स्वीकृति प्रदाय करने बाबत् श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दंतेवाड़ा को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जो प्र.पी.–13 है। उसके द्वारा प्रार्थी हजारीलाल मौर्य, साक्षी प्रेमलाल पोड़ियाम, हरिराम मंडावी, लखमू कुड़ामी, हीरालाल कवासी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। यहां इस साक्षी के द्वारा किये गये उपरोक्त सभी कार्यवाही को देखें तो वह केवल अभियोजन का समर्थनकारी साक्ष्य रहा है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि, अभियुक्त

के कब्जे से विस्फोटक सामाग्री को घटना स्थल से बरामद किया गया था।

18— उपरोक्तानुसार प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से कोई विस्फोटक सामाग्री जप्त किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। इस प्रकार यहां अभियोजन की ओर से इस अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संबंध में जिन साक्षियों का कथन कराया गया है, उनमें से किसी के भी कथन में ऐसा कोई तथ्य विश्वास किए जाने योग्य नहीं आया है, जिससे कि, कथित अपराध को कारित करने में अभियुक्त की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता रही हो। ऐसी स्थिति में इस अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होना पाया जाता है।

19— उपरोक्त विवेचना का सार यह है कि अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के द्वारा, इस बिन्दु पर अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है कि, घटना में अभियुक्त शामिल था या उस दल का सदस्य था, जिसने घटना कारित किया था तथा पेश साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि, घटना में इस अभियुक्त के शामिल होने बाबत् प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है। अतः इस अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से हर संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। फलतः इस अभियुक्त को धारा 04, 05 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

20– अभियुक्त के द्वारा धारा 437 (ए) दं.प्र.स. के तहत निष्पादित बंधपत्र, इस निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

21– अभियुक्त, न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतित अवधि का निरोध अवधि प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

22– प्रकरण में जप्त संपत्ति एक नग 30–35 मीटर वायर, एक नग बैटरी, एक नग नक्सली पिट्ठू, एक नग सी.एन.एम. कपड़ा, एक नग नक्सली साहित्य, एक नग नक्सली बैनर लाल रंग का, दस नग नक्सली पॉमप्लेट, एक नग टेप तथा पॉलीथिन, एक नग कमांड बम, एक नग कमांड बम, एक नग बैटरी तथा वायर को निष्क्रिय किये गये स्थान का विस्फोटक पदार्थों के अवशेष सहित 05 किलोग्राम बारूदी मिट्टी, एवं निष्क्रिय किये गये स्थान का सादी मिट्टी 02 किलोग्राम के विधिवत् निराकरण हेतु अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने पर जिला दंडाधिकारी दंतेवाड़ा को प्रेषित किया जावे अपील होने पर उक्त संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

23– इस प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसका रिहाई आदेश इस निर्देश के साथ जारी हो कि, अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो इस प्रकरण से उसे

अविलंब रिहा किया जावे।

24— निर्णय की एक प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—365 के तहत् विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जावे।

स्थान—दंतेवाड़ा,

दिनांक—09.06.2022

निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित।

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE

Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.06.09 17:07:53 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला—दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

निरोध अवधि का प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर है:—

सत्र प्रकरण क्रमांक–49/2020
C.I.S.No.-CGDA01-000276-2020

–: निरोध अवधि का प्रमाण पत्र :–

(अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं.)

क्र.	पक्षकार का नाम एवं प्रकरण क्रमांक	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त को बंदी बनाए जाने का दिनांक	न्यायिक निरोध की अवधि	अभियुक्त के न्यायिक निरोध की अवधि को उसके मूल सजा अवधि में मुजरा की जानी है
01	शासन बनाम हिड़मा पोड़ियामी प्रकरण क्रमांक–49/2020	हिड़मा पोड़ियामी पिता हड़मा पोड़ियामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी–चिकपाल पटेलपारा, थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)	24.01.2020	24.01.2020 से 09.06.2022 तक कुल 02 वर्ष 04 माह 16 दिन	निरंक (अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है।)

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE

Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.06.09 17:08:01 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

सत्र प्रकरण क्रमांक–49/2020
C.I.S.No.-CGDA01-000276-2020

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	01
2	Appearance of Advocate	01
3	Charge	4 से 5
4	Admitted Facts	—
5	Prosecution Strory	02 से 04
6	Reasons and findings	05 से 15
7	sentence	—
8	Period of Detention & Set-Off	15
9	Disposal of Property	15
10	Order of Commpensation	—
11	Certificate under section 428 Crpc	17
12	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of Fine)	—
13	Copy of Judgement	01 से 17

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE

Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.06.09 17:08:10 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Date of offence	दिनांक 24.01.2020 को समय 16:30 बजे
Date of FIR	24.01.2020
Date of Charge sheet	20.04.2020
Date of farming of charges	04.02.2021
Date of commencement of Evidence	26.03.2021
Date on which judgement is reserved	08.06.2022
Date of the judgement	09.06.2022
Date of the Sentencing Order, if any	निरंक

Accused Details

Rank of the Accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentenc imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.p.c.
01	हिड़मा पोड़ियामी पिता हड़मा पोड़ियामी	24.01.2020	अभिरक्षा में है	04, 05 वि.प.अधि.	दोषमुक्त	निरंक	24.01.2020 से 09.06. 2022 तक कुल 02 वर्ष 04 माह 16 दिन

DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Digitally signed by DEEPAK KUMAR DESHLAHRE
Date: 2022.06.09 17:08:20 +0200

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)